न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-प्रथम, ज्ञानपुर-भदोही

उपस्थितिः लोकेश कुमार मिश्र(एच०जे०एस०)

जमानत प्रार्थनापत्र सं० 222 सन् 2026

CNRNO.-UPSN0-1000670-2026

जय प्रकाश यादव उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम भेलसी थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज।

......................प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-20 सन 2026
धारा-109(1), 112(2), 317(2), 317(4),
318(2), 336(3), 338 बी.एन.एस.
व 4/25 आयुध अधिनियम
थाना- कोईरौना, जिला-भदोही।

10.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त जय प्रकाश यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या -20 सन 2026 अन्तर्गत धारा-109(1), 112(2), 317(2), 317(4), 318(2), 336(3), 338 बी.एन.एस. व 4/25 आयुध अधिनियम , थाना - कोईरौना, जिला भदोही के प्रकरण में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनाक 10.02.2026 को रवाना होकर मै प्रभारी निरीक्षक रामनगीना यादव मय एक अदद पिस्टल व 10 चक कारतूस मय हमराह को० हरिनन्दन कुमार मय एक जरब इंसास रायफल व 20 चक्र कारतूस, कॉ० प्रवेश कुमार मय अस्थायी चालक का० सदीप कुमार व सरकारी वाहन UP66G0268 के रोकथाम जुर्म एवं जरायम, पेण्डिंग विवेचना, चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त व रात्रिगस्त करते हुए मठहा चौराहा पर मौजूद था कि मुखबिर खास आया और बताया कि साहब जिस अभियुक्त संदीप यादव उर्फ अंकित यादव को आप लोग खोज रहे है, वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से भेलसी के रास्ते से पुनः चोरी करने के उद्देश्य से पैगहा की तरफ आ रहा है। मुखबिर की बातों पर विश्वास करके जरिये दूरभाष वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार राय, उ0नि0 कमल टावरी चौकी प्रभारी सीतामढ़ी तथा द्वितीय

मोबाइल में लगे उ0नि0 दयाशंकर महर्षि को सूचना दी गयी कुछ समय में ही मौके पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार राय, उ0नि0 कमल टावरी चौकी प्रभारी सीतामढ़ी मय एक अदद पिस्टल व 10 चक्र कारतूस मय हमराह हे०कां० इन्दुप्रकाश तथा द्वितीय मोबाइल में लगे उ0नि0 दयाशंकर महर्षि मय हमराह कां० हरेन्द्र सिंह, कां० दीपक कुमार मय एक–एक अदद इसास रायफल मय 20–20 चक्र कारतूस के उपस्थित आये जिनको मुखविर द्वारा बतायी गयी बातों से अवगत कराते हुए मुखबिर खास को लेकर मय हमराह अधिकारी/कर्मचारीगण के टीवीएस एजेंसी पैगहा के पीछे भेलसी जाने वाले रास्ते पर मुड़े तो दूर से एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखायी दी। जिसे देखकर मुखबिर द्वारा इशारा करते हुए बताया गया कि साहब जो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, वही संदीप उर्फ अंकित और उसके साथी लोग हैं व भलाई बुराई के डर से हट बढ गया। जब मोटरसाइकिल नजदीक आयी तो पुलिस की गाड़ी देखकर मोटरसाइकिल पर बैठे लोग पीछे मुड़कर भागने की कोशिश में गिर गये। उसमें से एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि संदीप ये पुलिस वाले हैं, इनको गोली मारो, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तब एक व्यक्ति द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस पर जान से मारने की नियत से 01 राउण्ड फायर कर किया गया। जो मेरी गाडी में लगी और हम लोग बाल –बाल बच गये। हमलोग सिखलाये गये हुनर से अपने को बचाते हुए बीच वाली सीट पर बैठे उ0नि0 कमल टावरी द्वारा आत्मरक्षार्थ सिवाय फायर कोई चारा न देखकर अपने पास लिए 09 एमएम पिस्टल से 01 राउण्ड फायर किया गया जो एक व्यक्ति को लगा, जो जोर से चिल्लाया– अरे हमको गोली लग गयी और वही गिर गया। साथ में आए दोनों व्यक्ति भागने का प्रयास किए जिन्हें हिकमत अमली से मौके पर समय 00.35 बजे पकड़ लिया गया। गोली लगे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संदीप यादव उर्फ अंकित यादव पुत्र दधीच निवासी विलारी थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र 23 वर्ष बताया। टार्च की रोशनी में देखने पर गोली लगे व्यक्ति के दाहिने हाथ के पास एक अदद देशी तमंचा 12 बोर पड़ा हुआ था जिसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी हुई है। जिसको जीवन रक्षार्थ द्वितीय मोबाइल में लगे उ0नि0 दयाशंकर महर्षि व उनके हमराहीगण के साथ सी.एच.सी. डीघ कोईरौना उपचार हेतु भेजा गया तथा पकड़े गये अन्य दो व्यक्तियों से नाम पता पूँछने पर एक ने अपना नाम जयप्रकाश यादव पुत्र राजेश यादव निवासी भेलसी थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र 22 वर्ष बताया, जिसकी जामा तालाशी लेने पर उसके कमर के दाहिने फैट में खुसा हुआ एक अदद चाकू बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूँछने पर उसने अपना नाम जयप्रकाश यादव पुत्र अशोक यादव निवासी मनोहर पुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र 19 वर्ष बताया जिसकी जामा तालाशी से उसके पहने हुए जीस पेंट के दाहिने जेब में रखा हुआ एक अदद पेचकस व एक अदद प्लास बरामद हुआ पास में

मोटरसाइकिल यमहा RX 100 ब्लैक रेड कलर जिस पर नम्बर प्लेट UP70CM4051 लगा है मोटरसाइकिल पर चेचिस नम्बर को मिटा दिया गया है, जिसको ई–चालान एप से देखने से उक्त यमहा मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD 100 दिखा रहा है जिसके बारे में कागजात तलब करने पर दिखाने से कासिर रहे। कड़ाई से पूँछने पर बता रहे है कि हम तीनों लोगों ने मिलकर बरौत बाजार से इस मोटरसाइकिल को चोरी किए थे। इसी मोटरसाइकिल से हमलोग चोरी करने जाते हैं। चोरी में मिले सामान को बाँटकर ले लेते हैं और उसे बेचकर पैसा प्राप्त कर उसका उपयोग हमलोग दुनियावी लाभ व अपने भोग विलास के संसाधनो में करते हैं। हम लोगों का सरगना संदीप यादव है। मौके पर मोटरसाइकिल के बगल में एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर गिरा पड़ा मिला। कुछ समय बाद मौके पर सूचना पर फील्ड यूनिट पहुँची उसके द्वारा फोटो ग्राफ्स व वीडियो ग्राफी की गयी। देशी तमंचा के नाल से एक अदद खोखा कारतूस निकाला गया। बरामद अवैध तमंचा 12 बोर का भौतिक सत्यापन किया गया। नाल लोहा 15 सेमी, बाडी लोहा 9.5 सेमी. मुठिया लोहा 08 सेमी जिसके दोनों तरफ लकड़ी का पट्टी लगा है जो दो स्क्रू की मदद से कसा है, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर तथा हैमर लोहे की बाडी और बैरल को खोलने बंद करने के लिए लोहे की पत्ती लगी है। एक अदद खोखा कारतूस जिसके पैंदे पीली धातु की, जिसपर शक्तिमान 12 एक्सप्रेस तथा आगे प्लास्टिक पर शक्तिमान सुपर मेघना मेड इन इंडिया लिखा, एक अदद जिंदा कारतूस जिसके पैंदे पीली धातु की जिसपर शक्तिमान 12 एक्सप्रेस तथा आगे प्लास्टिक पर शक्तिमान सुपर मेघना मेड इन इंडिया लिखा है, बरामद चाकू लोहे की जिसके फल की लम्बाई 22 सेमी मुठिया 10.5 सेमी. जो रिपिट से कसा है तथा एक अदद प्लास लोहे का लाल कलर का है एवं पेचकस लोहे का, जिसकी मुठिया हरा कलर लम्बाई 08 सेमी. व पेचकस की लम्बाई 20 सेमी. है। बरामद माल को कब्जा पुलिस लेकर पारदर्शी पालीथीन में फील्ड यूनिट द्वारा दी गयी अवैध तमंचा 12 बोर एक खोखा कारतूस 12 बोर एक जिन्दा कारतूस 12 बोर को पालीथीन सहित एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रख कर सर्वसील मोहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा फायरशुदा 09 एमएम खोखा कारतूस जिसके पेंदे पर KF11.9MM22 अंकित है। जिसे पारदर्शी पालीथीन में फील्ड यूनिट द्वारा दी गयी, जिसे एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामद चाकू को एक सफेद में रखकर सर्वसील मुहर किया गया तथा बरामद प्लास व पेचकस को सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का उनके द्वारा किया गया यह कार्य जुर्म धारा 303 (2), 109, 112(2), 317(2), 317(4), 318(2), 336(3), 338 बी.एन.एस. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 05.15 बजे हिरासत पुलिस लिया

गया। दौराने गिरफ्तारी बरामदगी आसपास के एकाध लोग टहलते हुए दिखायी पड़े। जिनसे गवाही हेतु कहने पर भलाई बुराई के डर से बिना नाम पता बताए हट बढ़ गये। गिरफ्तारी मेमी मौके पर भरा गया गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण द्वारा बताये गये उनके परिजनों के मोबाइल नम्बरों पर दी गयी।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त की तरफ से न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 ई० को खारिज किया जा चुका है। वाद उपरोक्त से सम्बन्धित अपराध सं० 20/2026 में थाना पुलिस कोईरौना द्वारा फर्जी फर्द बरामदगी तैयार करके फर्जी रिकवरी प्रार्थी के कब्जे से दिखाकर फर्जी ढंग से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके गलत ढंग से चालान न्यायालय अदालत कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी तरह का कोई नाजायज चाकू नहीं बरामद हुआ है और न ही प्रार्थी तथाकथित घटना स्थल पर मौजूद ही था। थाना पुलिस कोईरौना ने प्रार्थी को साजिश के तौर पर पूछताछ के बहाने घर से पकड़कर थाने पर ले आई और साजिश के तहत फर्जी तौर पर फर्द बरामदगी तैयार करके एवं फर्जी ने बरामदगी दिखाकर प्रार्थी को तथाकथित घटना में सम्मलित होना दिखाकर गलत ढंग से चालान अदालत कर दिया है। वाद उपरोक्त में तथाकथित घटना का पुलिस दल के अलावा जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वाद उपरोक्त में तथाकथित घटना से प्रार्थी का किसी तरह से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही प्रार्थी तथाकथित घटना में प्रार्थी की कोई भूमिका ही रही है। वाद उपरोक्त में तथाकथित घटना में प्रार्थी द्वारा किसी तरह की कोई कूट कृत कार्यवाही नहीं की गयी है। थाना पुलिस द्वारा गलत ढंग से हीरोहोण्डा सी०डी० 100 को प्रार्थी व अन्य अभियुक्तों के कब्जे से बरामद होना एवं चोरी का होना दिखाकर फर्जी तौर पर फर्द बरामदगी तैयार किया है। तथाकथित घटना में फर्जी ढंग बरामद सुदा मोटर साईकिल उपरोक्त के बारे में प्रार्थी अभियुक्त को गलत ढंग से फसाया गया है। वाद उपरोक्त में तथाकथित अ० सं० 20/2026 में प्रार्थी या अन्य किसी द्वारा पुलिस बल पर कोई फायरिंग नहीं की गयी और न ही फायरिंग के समय अन्य सहअभियुक्त के साथ प्रार्थी घटना स्थल पर मौजूद ही था।वाद उपरोक्त से सम्बन्धित तथाकथित घटना के बावत थाना पुलिस कोईरौना द्वारा फर्द बरामदगी मेमो तैयार करते समय व प्रार्थी के जामा तलाशी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशो एवं आदेशो का कत्तई पालन नहीं किया गया है। बल्कि वास्तविकता से हटकर थाना पुलिस

द्वारा की गयी खानापूर्ति कर कराकर प्रार्थी का गलत ढंग से न्यायालय मे चालान कर दिया गया। वाद उपरोक्त मे तथाकथित घटना प्रार्थी के विरोधियो के दबाव व प्रभाव मे होकर झूठे एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित है जिसमें कत्तई कोई सचाई नहीं है। प्रार्थी एक सामान्य परिवार का शान्तिप्रिय व्यक्ति है। ईर्ष्या द्वेष की भावना से प्रार्थी को उपरोक्त अपराध में साजिश के तहत गलत ढंग से फसाया गया है। वाद उपरोक्त तथाकथित घटना से सम्बन्धित अ0सं0 20/2026 मे प्रार्थी दिनांक 11.02.2026 ई० से जिला कारागार भदोही ज्ञानपुर मे निरूद्ध है। वाद उपरोक्त में प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना जमानत मुचलका दाखिल करने के लिये तैयार है। जमानत पर छूटने के बाद प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा बल्कि विचारण के समय अदालत में बराबर उपस्थित रहकर विचारण में पूरा सहयोग करेगा। वाद उपरोक्त में प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्त के द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त व सहअभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा बरामद किया गया। अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त के जमानत प्राप्त करने पर भागने की प्रबल संभावना है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रथम दृष्टया केश डायरी का अवलोकन करने पर दर्शित है कि अभियुक्त जयप्रकाश यादव को मौके पर गिरफ्तार किया जाना दर्शित किया गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास होना दर्शित है किन्तु अभियुक्त के जमानत आवेदन पर विचार करते समय आपराधिक इतिहास के अतिरिक्त मामले के अन्य तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस मामले में घटना रात्रि में घटित होना दर्शित किया गया है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त जयप्रकाश यादव के द्वारा फायरिंग किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं किया गया है और न ही किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट आना दर्शित किया गया है। इस मामले में फायरिंग के लिए उकसाने की बात की गयी है,किन्तु फायरिंग के लिए किसने उकसाया, यह तथ्य प्रथम दृष्टया केस डायरी से दर्शित नहीं होता है। फायरिंग करने वाले व्यक्ति को किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा फायरिंग करते हुए नहीं देखा गया है। घटना रात्रि की होना बताया गया है एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि टार्च की रोशनी में बाद में देखने पर अभियुक्त संदीप को घायल अवस्था में देखना बताया गया है।

7. अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये

मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त उपरोक्त का जमानत के आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त जय प्रकाश यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या –20 सन 2026 अन्तर्गत धारा–109(1), 112(2), 317(2), 317(4), 318(2), 336(3), 338 बी.एन.एस. व 4/25 आयुध अधिनियम , थाना – कोईरौना, जिला भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

1. अभियुक्त अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहेगा और विवेचना में सहयोग करेगा।
2. अभियुक्त किसी प्रकार साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।
3. अभियुक्त साक्षीगणों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
4. अभियुक्त के द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।
5.अभियुक्त उसी प्रकृति का अपराध जिसका कि किये जाने का उसपर अभियोग है पुनः वह अपराध नहीं करेगा।
6. यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाने के बाद उपस्थित नहीं होता है तो लोक अभियोजक अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन देने हेतु स्वतंत्र होगा।

9. चूंकि अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। अतः इस जमानत आदेश की एक प्रति जरिए ई–मेल अधीक्षक जिला कारागार ज्ञानपुर को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/
पॉक्सो प्रथम, भदोही ज्ञानपुर।

दिनांक 10.03.2026

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.03.31 10:00:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court